



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270460
CG-DL-E-25022026-270460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 39]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

विषय: चीन जन. गण. से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन के आयातों पर की गई पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम निष्कर्षों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर, 2020 के माध्यम से "पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन ("संबद्ध वस्तु") के चीन जन. गण. से उत्पन्न या वहां से निर्यातित आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संस्तुति करते हुए अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए थे।

2. उक्त संस्तुत व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्कों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त अंतिम निष्कर्षों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

3. उक्त अंतिम निष्कर्षों के अनुच्छेद 154 में शुल्क तालिका के तुरंत पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

"उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना इस शर्त के अधीन होगा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए। उक्त चालान में चालान जारी करने

वाली इकाई के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा सम्मिलित होगी, जिसमें उसका नाम तथा पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा, और जो निम्नलिखित प्रारूप में होगी:

‘मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात हेतु बेची गई पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट (पीईटी) रेज़िन की (मात्रा) का निर्माण (कंपनी का नाम एवं पता) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में किया गया है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।’

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी निर्यातकों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क दर लागू होगी।”

यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्रभावित नहीं करेगी।”

4. यह संशोधन अधिसूचना, अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर, 2020 द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के साथ पढ़ी जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

Subject: Amendment to the Final Findings issued in Anti-dumping investigation on the imports of “Polyethylene Terephthalate (PET Resin)” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/24/2019-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, the Designated Authority issued the Final Findings vide Notification F. No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December, 2020, recommending definitive anti-dumping duty on the imports of “Polyethylene Terephthalate (PET Resin)” (the subject goods) originating in or exported from China PR.

2. The Designated Authority, in order to ensure the effective application and collection of the recommended individual anti-dumping duties, hereby amends the Final Findings.
3. The following paragraph shall be inserted immediately below the Duty Table in paragraph 154 of the said Final Findings:

“The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

‘I, the undersigned, certify that the (volume) of Polyethylene Terephthalate (PET Resin) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.’

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply.

This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.”

4. This amendment notification shall be read in conjunction with the Final Findings issued vide Notification F. No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December, 2020.

AMITABH KUMAR, Designated Authority